



23.12.16.

पत्रावली पेश हुई। अभिसाधक
 समय पत्र उपर। निगरानी सं० ५६/१५
 का निषेध किया जाकर निगरानी
 खारिज की जा चुकी है अतः
 निगरानी का सैरिज पर निषेध ख
 जाने से स्थगन आदेश दि० ३.११.१५
 निरस्त किया जाता है पत्रावली
 के साथ गुप्तार की जाकर बाक तमसीय
 कारिखत दफ्तर हो लाओ

अभि. जिला कलक्टर (प्रशासन)
 गंगानगर (राजस्थान)

क्या...
 प्रथम पत्र एक रूप
 का ही नहीं है। प्र
 का पत्र किया है।
 प्रथम पत्र न्याय
 स्थानिकार में है।
 प्रथम पत्र नियम
 है।
 प्रथम पत्र अदेश
 प्रमाणित प्रति पेश
 की नहीं है।
 प्रथम पत्र पेश कि

अवलोकनार्थ/आवे
 १०डी०एम० सा०

31